

# आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F 7(4)अकाद/ आकाशि / 1671

दिनांक : 2-7-2019

प्राचार्य  
समस्त राजकीय महाविद्यालय  
राजस्थान

विषय : स्नातक पार्ट -II , III व स्नातकोत्तर उत्तरार्ध में प्रवेश नवीनीकरण के सन्दर्भ में

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विद्यार्थी हित एवं महाविद्यालय की मांग को दृष्टिगत रखते हुए स्नातक पार्ट-II , पार्ट-III व स्नातकोत्तर उत्तरार्ध में प्रवेश नवीनीकरणके लिए जिन पात्र विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा किसी कारणवश प्रोन्नत नहीं किया है अथवा प्रोन्नत विद्यार्थियों ने दिनांक 26.6.19 तक फीस जमा नहीं करवायी है इस कार्य हेतु दिनांक 3.7.19 से 20.7.19 तक प्रोन्नत कर ई-मित्र पर फीस जमा करवाने का अंतिम अवसर अनुमत किया जाता है।

महाविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों को नियत अवधि में फीस जमा कराने हेतु संसूचित करें व सम्पूर्ण नवीनीकरण प्रक्रिया पूर्ण करें। ऐसे फीस जमा कराने वाले विद्यार्थियों के सेक्शन आवंटन का कार्य साथ-साथ किया जावे।


यह सुनिश्चित करें कि इस प्रक्रिया से नियमित शिक्षण कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो।



(प्रदीप कुमार बोरड, IAS)  
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं  
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि :

वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।



(डॉ. आर.सी. मीना)  
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)